[2022] 1 एस. सी. आर 653

ए.

एसआरआई। बेनसन जॉर्ज बनाम.

रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी। लिमिटेड. और ए. एन. आर. (2022 की सिविल अपील संख्या 1540)

बी.

25 फरवरी, 2022

[एम. आर. शाह और बी. वी. नागरत्ना, जे. जे.]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988:s.166-क्षतिपूर्ति-एक मोटर दुर्घटना में, 29 वर्ष की आयु के दावेदार के मस्तिष्क में गंभीर चोट लगी-उसकी मस्तिष्क की सर्जरी हुई-अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी वह कोमा में रहा-दुर्घटना के समय, वह बैंक में काम कर रहा था और रु। 4,59,425 पी. ए.-न्यायाधिकरण ने मुआवजे के रूप में रु. 9 प्रतिशत पी. ए. की दर से ब्याज के साथ 1 लाख रुपये-बीमा कंपनी और दावेदार दोनों ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की-उच्च न्यायालय ने दावेदार की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और मुआवजे को 5 लाख रुपये से बढ़ा दिया। 94.37 लाख से रु। तथापि, ब्याज को 9 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत पी. ए. कर दिया गया-अभी भी पीड़ित दावेदार ने तत्काल अपील दायर की-दावेदार की शिकायत यह थी कि 5 करोड़ रुपये का पुरस्कार दिया गया था। सिर के नीचे 2 लाख 'दर्द और पीड़ा' और सिर के नीचे एक लाख रुपये 'सुविधाओं और खुशी का नुकसान' पर्याप्त नहीं था-आयोजितः लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहने और चिकित्सा उपचार को ध्यान में रखते हुए और अभी भी कोमा में और बिस्तर पर पड़े दावेदार को देखते हुए, उच्च न्यायालय ने रुपये देने में गलती की-केवल 'दर्द, सदमा और पीड़ा' के तहत-इस शीर्ष के तहत मुआवजे की राशि को बढ़ाकर 'आईडी1', 00,000/- कर दिया गया-इसी तरह, उच्च न्यायालय द्वारा 'सुविधाओं और खुशी की हानि' के तहत दी गई रुपये की राशि को भी निचले हिस्से में कहा जा सकता है-कोई भी राशि सुविधाओं और खुशी के नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती है, विशेष रूप से एक व्यक्ति जो वर्षों से कोमा में है और पूरे जीवन के लिए बिस्तर पर है-मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अगर सिर के नुकसान के तहत मुआवजे की राशि है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

653

654 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 1 एस. सी. आर.

ए.

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.1** दावेदार द्वारा झेली गई पीड़ा, पीड़ा और आघात की भरपाई धन के रूप में नहीं की जा सकती है।फिर भी, दर्द, सदमा और पीड़ा, सुविधाओं की हानि और जीवन की खुशी सहित विभिन्न शीर्षों के तहत उपयुक्त मुआवजा देना एक सांत्वना होगी।लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहने और दावेदार द्वारा मस्तिष्क की कई चोटों/चोटों के कारण मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और यह कि वह अभी भी कोमा में है और बिस्तर पर है, यदि दर्द, सदमे और पीड़ा के सिर के नीचे मुआवजे की राशि को **Rs.10,00,000/-** तक बढ़ाया जाता है, तो इसे सिर दर्द, सदमे और पीड़ा के तहत एक उचित राशि कहा जा सकता है।**[**पैरा **7,7.1] [658-**जी**-**एच**; 659-**ए**-**बी**]**

बी.

सी.

1.2 इसी तरह, सुविधाओं और खुशी के नुकसान शीर्ष के तहत उच्च न्यायालय द्वारा दी गई रु**. 1,00,000** की राशि को भी कम माना जा सकता है।कोई भी राशि सुविधाओं और खुशी के नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती है, विशेष रूप से एक व्यक्ति जो कई वर्षों से कोमा में है और पूरे जीवन के लिए बिस्तर पर है।मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यदि सुविधाओं और खुशी के नुकसान शीर्ष के तहत मुआवजे की राशि को उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए रुपये से बढ़ाकर **00,000/-** कर दिया जाता है, तो इसे सुविधाओं और खुशी के नुकसान शीर्ष के तहत एक उचित राशि कहा जा सकता है।**[**पैरा **7.2] [659-**बी**-**डी**]**

डी.

ई.

राज कुमार बनाम अजय कुमार और ए**.** एन**.** आर**. (2011) 1** एस**.** सी**.** सी**. 343: [2010] 13** एस**.** सी**.** आर**. 17;** ललन डी**.** उर्फ लाल और अन्न बनामओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड **(2020) 9** एससीसी **805**

– संदर्भित किया गया।

एफ.

2. अब जहाँ तक उच्च न्यायालय द्वारा ब्याज की राशि को **9** प्रतिशत से घटाकर **6** प्रतिशत प्रति वर्ष करने के विवादित निर्णय और आदेश का संबंध है**,** मामले के विशिष्ट कृत्यों और परिस्थितियों में**,** भारत के संविधान के अनुच्छेद **136** के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय द्वारा इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।**[**पैरा **8.2] [660-**बी**-**सी**]**

जी.

संदर्भित निर्णय

[2010] 13 एस**.** सी**.** आर**. 17**

संदर्भित किया गया है

पैरा **4.1**

(2020) 9 एस**.** सी**.** सी**. 805**

संदर्भित किया गया है

पैरा **4.3** ए

एच.

655

एसआरआई। बेंसन जॉर्ज बनाम रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ए. एन. आर.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2022 की सिविल अपील संख्या 1540।

2018 (एम. वी.) के एम. एफ. ए. No.3183 में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांकित 28.09.2020 के निर्णय और आदेश से।

रोहन थवानी, करुणाकर महालिक, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।सुश्री प्रेरणा मेहता, प्रत्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता।

बी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.**

1. 2018 (एम. वी.) के एम. एफ. ए. No.3183 में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश दिनांक 28.09.2020 से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, मूल दावेदार ने मुआवजे की राशि बढ़ाने के लिए प्रार्थना के साथ वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

सी.

2. 01.01.2013 पर हुई एक वाहन दुर्घटना में दावेदार के मस्तिष्क में गंभीर चोटें आईं।उनके मस्तिष्क की सर्जरी हुई थी।हालाँकि उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन दावा याचिका दायर होने तक वे कोमा में ही रहे।संबंधित समय में दावेदार डॉयचे बैंक में एक प्रक्रिया पर्यवेक्षक के रूप में काम कर रहा था और प्रति वर्ष रु. 4,59,425 कमा रहा था।दुर्घटना के समय उनकी आयु 29 वर्ष थी।कि दावेदार ने अपने अगले मित्र यानी अपनी माँ के माध्यम से मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष दावा याचिका दायर की।कि विद्वान ट्रिब्यूनल ने विभिन्न शीर्षों पर Rs.94,37,300/- का आदेश निम्नानुसार दियाः

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

ए.

विद्वान न्यायाधिकरण ने याचिका की तारीख से वसूली तक 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया।

2.1 विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा 9 प्रतिशत ब्याज के साथ मुआवजे के लिए कुल 37,300/- की राशि देने वाले निर्णय और निर्णय से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, बीमा कंपनी के साथ-साथ मूल दावेदार ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की।विवादित सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने पक्षकार द्वारा दावेदार द्वारा की गई अपील को स्वीकार कर लिया है और विभिन्न शीर्षों के तहत मुआवजे की राशि को 94,37,300-से बढ़ाकर 1,24,94,333/- कर दिया है।

बी.

सी.

डी.

ई.

हालाँकि, उच्च न्यायालय ने विद्वत न्यायाधिकरण द्वारा दिए विद्वान ब्याज को 9 प्रतिशत प्रति वर्ष से घटाकर 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से कर दिया है।

एफ.

2.2 जैसा कि अनुरोध किया गया था, पूरा दावा नहीं देने में उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, मूल दावेदार ने मुआवजे की राशि बढ़ाने के लिए वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

3. दावेदार की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने केवल सिरदर्द और पीड़ा के तहत रुपये और भविष्य की सुविधाओं और खुशी के नुकसान के शीर्ष के तहत रुपये देने में गंभीर त्रुटि की है।

जी.

3.1 दावेदार की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि दुर्घटना में दावेदार को गंभीर ए

एच.

657

एसआरआई। बेंसन जॉर्ज बनाम रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

मस्तिष्क की चोटें।उन्हें सेंट जॉन्स अस्पताल में 01.01.2013 से 15.03.2013 और ब्रेन एंड स्पाइन सेंटर में 16.03.2013 से 03.05.2013 तक अस्पताल में भर्ती कराया गया था।उनके मस्तिष्क के तीन बड़े ऑपरेशन हो चुके हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उसके बाद वह पूरे समय कोमा में है और बिस्तर पर है।इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने केवल सिरदर्द और पीड़ा के तहत रुपये देने में गलती की है।इसलिए, यह प्रार्थना की जाती है कि अस्पताल में भर्ती होने की अवधि, दावेदार के मस्तिष्क की गंभीर चोटों और उसके कई ऑपरेशनों को ध्यान में रखते हुए सिर दर्द और पीड़ा के तहत मुआवजे की राशि को उचित रूप से बढ़ाया जाए।

बी.

3.2 दावेदार की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि वाहन दुर्घटना में दावेदार को 100% अक्षमता का सामना करना पड़ा है और वह पूरी तरह से बिस्तर पर है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस विकलांगता के साथ उसे अपनी मृत्यु तक दयनीय जीवन जीना होगा।वह जीवन का आनंद लेने की स्थिति में नहीं होगा और इसलिए उच्च न्यायालय ने केवल सुविधाओं और खुशी के नुकसान के लिए रुपये देने में गंभीर त्रुटि की है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने ब्याज की राशि को 9 प्रतिशत प्रति वर्ष से घटाकर 6 प्रतिशत प्रति वर्ष करने में गंभीर त्रुटि की है।

सी.

डी.

उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील की अनुमति दी जाए और तदनुसार मुआवजे की राशि बढ़ाई जाए।

ई.

4. बीमा कंपनी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री प्रेरणा मेहता ने वर्तमान अपील का जोरदार विरोध किया है।

4.1 राज के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए

कुमार बनाम। अजय कुमार और ए. एन. आर., (2011) 1 एस. सी. सी. 343, प्रस्तुत किया गया है।

कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, जब मुआवजे को भविष्य में अर्जित करने की क्षमता के नुकसान को 100% के रूप में मानते हुए दिया जाता है, तो सुविधाओं के नुकसान या जीवन की उम्मीद के नुकसान के शीर्ष के तहत अलग से मुआवजा देने की आवश्यकता गायब हो सकती है और इसके परिणामस्वरूप, सुविधाओं के नुकसान या जीवन की उम्मीद के नुकसान के शीर्ष के तहत केवल एक सांकेतिक या नाममात्र की राशि दी जा सकती है, अन्यथा मुआवजे के पुरस्कार में दोहराव हो सकता है।

एफ.

जी.

4.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय द्वारा सुविधाओं और खुशी के नुकसान के लिए रुपये देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है।

4.3 बीमा कंपनी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि राज के मामले में इस न्यायालय का निर्णय

एच.

कुमार **(**ऊपर**)** पर बाद में विचार किया गया और इसके बाद यह

ललन डी. उर्फ लाल और अन्न बनाम अन्न के मामले में न्यायालय।ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, (2020) 9 एससीसी 805।

4.4 बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने ब्याज को 9 प्रतिशत प्रति वर्ष से घटाकर 6 प्रतिशत प्रति वर्ष करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

बी.

5. हमने संबंधित पक्षों के लिए विस्तार से विद्वान अधिवक्ता है।6. यह विवाद में नहीं है और यह रिकॉर्ड पर आया है कि एक वाहन दुर्घटना में दावेदार को मस्तिष्क में गंभीर चोटें आईं।कि वह कई महीनों से अस्पताल में भर्ती थे।कि उनका एम. आर. आई., सी. टी. स्कैन और एक्स-रे हुआ।कि उन्होंने दाएँ अस्थायी एस. डी. एच., अस्थायी लोब पर कई रक्तस्रावी चोटें, बाएँ पेरीटो-ऑक्सीपिटल लोब, बाएँ पार्श्विका लोब और द्विपक्षीय फ्रंटल लोब, रक्तस्रावी चोटें बाएँ थैलेमिक क्षेत्र एस/ओ ग्रेड II डिफ्यूज एक्सोनल चोट, दाएँ सिल्वियन सिस्टर्न में मध्यम एस. ए.

एच., मध्यम डिफ्यूज सेरेब्रल एडिमा, बाएँ स्क्वैमस टेम्पोरल और बाएँ पार्श्विका हड्डी में कई कम और भिन्न रूप से अवसादग्रस्त फ्रैक्चर, द्विपक्षीय पश्चिका हड्डी फ्रैक्चर, दाएँ उप-पश्चिका एस. डी. एच. बनाए रखा। अंत में पता चला कि दर्दनाक मस्तिष्क की चोट सीक्वेल-एस/पी फ्रंटोटेम्पोरोपेरिएटल हेमिक्रैनेक्टोमी और दाएं निचले अंग की गहरी नस थ्रोम्बोसिस।

सी.

डी.

ई.

कि दावेदार की कई शल्यक्रियाएँ हुईं।लेफ्ट फ्रंट-टेम्पोरोपैरिटल डीकंप्रेसिव हेमिक्रैनेक्टोमी 02.01.2013 पर लैक्स ड्युरोप्लास्टी के साथ की जाती है।उन्होंने जी. ए. के तहत पर्क्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोटॉमी कराई। चूंकि याची को मस्तिष्क में बहुत गंभीर चोटें आईं, इसलिए उन्हें ब्रेन एंड स्पाइन सेंटर, चेमनकारी, केरल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ उन्हें 16.03.2013 से 03.05.2013 में भर्ती कराया गया।उन्होंने जी. ए. के तहत 25.03.2013 पर दाहिने तरफ वी. पी. शंटिंग (छाबड़ा मध्यम दबाव नियमित) कराया। कि दावेदार अभी भी कोमा में है और पूरी तरह से बिस्तर पर है।7. लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहने और चिकित्सा उपचार को ध्यान में रखते हुए और यह कि दावेदार की कई सर्जरी हुई, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने केवल सिरदर्द और पीड़ा के तहत रुपये देने में गलती की है।दावेदार द्वारा झेली गई पीड़ा, पीड़ा और आघात की भरपाई धन के रूप में नहीं की जा सकती है।फिर भी, दर्द, सदमा और पीड़ा, सुविधाओं की हानि और जीवन की खुशी सहित विभिन्न शीर्षों के तहत उपयुक्त मुआवजा देना एक सांत्वना होगी।

एफ.

जी.

एच.

659

एसआरआई। बेंसन जॉर्ज बनाम रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

7.1 लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहने और दावेदार द्वारा मस्तिष्क की कई चोटों/चोटों के कारण मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और यह कि वह अभी भी कोमा में है और बिस्तर पर है, हमारी राय है कि यदि दर्द, सदमे और पीड़ा के सिर के नीचे मुआवजे की राशि को बढ़ाकर <ID1,00,000/- (दस लाख रुपये) कर दिया जाता है, तो इसे सिर दर्द, सदमे और पीड़ा के तहत एक उचित राशि कहा जा सकता है।

बी.

7.2 इसी तरह, सुविधाओं और खुशी के नुकसान शीर्ष के तहत उच्च न्यायालय द्वारा दी गई रु. 1,00,000 की राशि को भी कम माना जा सकता है।जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, कोई भी राशि सुविधाओं और खुशी के नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती है, विशेष रूप से एक व्यक्ति जो कई वर्षों से कोमा में है और पूरे जीवन के लिए बिस्तर पर है।

सी.

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारी राय है कि यदि सुविधाओं और खुशी के नुकसान शीर्ष के तहत मुआवजे की राशि को उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए रुपये से बढ़ाकर 00,000/- (दस लाख रुपये) कर दिया जाता है, तो इसे सुविधाओं और खुशी के नुकसान शीर्ष के तहत एक उचित राशि कहा जा सकता है।8. अब राज कुमार (उपरोक्त) और ललन डी. उर्फ लाल (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करने के संबंध में, बीमा कंपनी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किए जाने के संबंध में, हमारी राय है कि मुआवजे की राशि, दर्द और पीड़ा और सुविधाओं और खुशी की हानि, सीधे जैकेट सूत्र नहीं हो सकता है।यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है और यह दुर्घटना के कारण पीड़ित व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न होता है।जहाँ तक दर्द, सदमे और पीड़ा के सिर पर मुआवजा देने का संबंध है, कई कारकों पर विचार करने की आवश्यकता है, जैसे कि लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती होना; गंभीर चोटें लगना; ऑपरेशन हुए और परिणामस्वरूप दर्द, असुविधा और पीड़ा।

डी.

ई.

एफ.

8.1 इसी तरह, दावेदार और उसके परिवार के सदस्यों को सुविधाओं और खुशी का नुकसान भी विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें दुर्घटना के बाद दावेदार की स्थिति और क्या वह जीवन और/या खुशी का आनंद लेने की स्थिति में है जिसका वह दुर्घटना से पहले आनंद ले रहा था।दावेदार ने जीवन में सुविधाओं को किस हद तक खो दिया है और खुशी प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगी।

जी.

इसलिए, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में जब दावेदार आठ लंबे वर्षों की अवधि के बाद भी कोमा में है और

एच.

यह कि उसे अपने पूरे जीवन के दौरान स्थायी रूप से बिस्तर पर रहना होगा, जैसा कि ऊपर देखा गया है कि सुविधाओं की हानि और रुपये की खुशी के शीर्ष के तहत दिए गए मुआवजे की राशि-केवल अनुचित और अल्प है।

8.2 अब जहाँ तक उच्च न्यायालय द्वारा ब्याज की राशि को 9 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत प्रति वर्ष करने के विवादित निर्णय और आदेश का संबंध है, मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय द्वारा इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

बी.

9. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को इस हद तक संशोधित किया गया है और यह माना गया है कि मूल दावेदार दावा याचिका दायर करने की तारीख से प्राप्ति तक 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ कुल 333/- रुपये की राशि का हकदार होगा।मुआवजे की बढ़ी हुई राशि प्रत्यर्थी -बीमा कंपनी द्वारा आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर विद्वान न्यायाधिकरण के समक्ष जमा की जाएगी, जिसमें विफल रहने पर, वह प्रति वर्ष 7.5 प्रतिशत की दर से ब्याज वहन करेगी।इस तरह की जमा राशि पर, विद्वत न्यायाधिकरण को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि मुआवजे की राशि का निवेश विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों या डाकघरों में दीर्घकालिक ब्याज वाली जमा राशि में विद्वान जाए ताकि मुआवजे की राशि का उपयोग दावेदार के लिए विद्वान जा सके और इसे कम न विद्वान जाए।

सी.

डी.

ई.

तदनुसार, वर्तमान अपील की उपरोक्त सीमा तक आंशिक रूप से अनुमति है।मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

एफ.

देविका गुजराल

अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।

जी.

एच.